भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 387
(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक **0**3 फरवरी**,** 2026/14 माघ**,** 1947 (शक) को दिया जाना है।)

2014 से लागू किए गए उपकर और अधिभार

387. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक उपकर और अधिभार के बताए गए प्रयोजन सहित वर्ष 2014 से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी उपकरों और अधिभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक उपकर एवं अधिभार से वर्ष-वार कितनी निधियां एकत्रित की गई हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों में इन निधियों के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक उपकर और अधिभार से प्राप्त निधियों का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें अधिरोपित किया गया था और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो घोषित उद्देश्य से किसी भी विचलन के कारण क्या हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख उपकरों और अधिभारों (वर्तमान में लागू) के संग्रहण का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक 'क'** में संलग्न है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 से प्रमुख उपकरों के अंतर्गत संग्रहण और उपयोग का विवरण **अनुलग्नक 'ख'** में संलग्न है।

(घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद **266** के अनुसार उपकरों और अधिभारों से प्राप्त आय एकत्र की जाती है और भारत के संचित निधि में जमा की जाती है। अनुलग्नक 'ख' में विभिन्न उपकरों के संबंध में उपयोग/अंतरण की जानकारी दी गई है। उपकरों का उपयोग विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों में विकास/कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर,प्रश्न नहीं उठता है।

अनुलग्नक 'क'

मुख्य करों के हिस्से के रूप में लगाए और वसूल किए गए उपकरों और अधिभारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रमांक	कर और कर प्राप्ति शीर्ष का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	संशोधित आकलन 2024-25	बजट आकलन 2025-26
वर्तमान में लागू उपकर:													
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर	...	...	...	...	...	...	...	76950.68	74142.03	80923.60	75180.00	80030.00
2	कच्चे तेल पर उपकर	14655.05	14310.69	12618.31	13579.21	17814.23	14062.49	10894.44	19353.84	21497.14	18803.41	17810.00	19330.00
3	निर्यात पर उपकर	1179.06	122.39	177.21	384.56	1690.23	5759.14	9214.64	1457.10	852.44	-3.19	10.00	11.00
4	स्वास्थ्य उपकर	...	...	...	...	...	...	-13.52	31.02	24.01	22.90	30.00	35.00
5	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	...	...	...	...	41177.44	39131.10	35821.55	52732.33	61809.29	71156.96	85300.00	94000.00
6	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	3732.55	5172.93	6426.20	2938.44	1797.80	2380.44	5098.81	6138.30	7168.30	7812.25	9610.00	10380.00
7	सड़क और अवसंरचना उपकर*	25121.95	69539.98	72399.53	83132.29	110847.16	122424.32	235782.55	195986.96	59234.95	44552.49	45250.00	47420.00
8	माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर	...	...	...	62611.59	95080.71	95553.09	85191.91	104768.66	125862.41	141436.16	153440.00	167110.00
अधिभार:													
1	निगम कर	14302.20	17754.06	20109.73	21439.48	25448.59	19053.92	14078.57	15890.00	55103.79	60373.34	60000.00	70000.00
2	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	1400.10	1565.16	2298.97	3211.77	4291.69	5236.92	5537.78	7922.88	53914.24	54793.80	76000.00	85000.00
3	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.04	0.03	0.01	...	0.01	...	0.37	...	...	...	...	...
4	सीमा शुल्क के अंतर्गत सामाजिक कल्याण अधिभार	...	...	...	1221.88	8871.19	8796.12	13447.39	16945.06	16178.79	16273.41	17250.00	17500.00

**इसमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर' लागू होने से पहले 'सड़क उपकर' के नाम से जाना जाता था।*

अनुलग्नक 'ख'

प्रमुख उपकरों के तहत संग्रहण और उपयोग

1. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पी.एस.के.), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह(स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर) (क)	(अन्तरण/उपयोग) (ख)	शेष (क) – (ख)
2020-21	35894.82	70735.46	-34840.64
2021-22	52750.27	78286.97	-25536.70
2022-23	61813.92	70589.27	-8775.35
2023-24	71158.60	80009.96	-8851.36
2024-25 (संशोधित आकलन)	85300.00	87198.73	-1898.73
2025-26 (बजट आकलन)	94000.00	103000.00	-9000.00

#आरक्षित निधि अर्थात माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को दिसंबर, 2022 में सी एंड एजी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 से चालू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमयूएसके के तहत और वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमएसएसएन के तहत अंतरित राशि संगत वर्ष (वर्षों) से संबंधित संशोधित आकलन के अनुसार है।

2. केन्द्रीय सडक एवं अवसंरचना निधि

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह*(सडक एवं अवसंरचना उपकर) (क)	(अन्तरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2020-21	235782.55	182363.47	53419.08
2021-22	195986.96	251738.18	-55751.22
2022-23	59234.95	239646.25	-180411.30
2023-24	44552.49	47777.66	-3225.17
2024-25 संशोधित आकलन	45250.00	39777.90	5472.10
2025-26 (बजट आकलन)	47420.00	41000.00	6420.00

** इसमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर' की शुरुआत से पहले 'सड़क उपकर' के रूप में जाना जाता था।*

3. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह [राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2020-21	5098.81	5820.00	-721.19
2021-22	6138.30	6134.60	3.70
2022-23	7168.30	8000.49	-832.19
2023-24	7812.25	8801.21	-988.96
2024-25 (संशोधित आकलन)	9610.00	9610.00	0.00
2025-26 (बजट आकलन)	10380.00	10380.00	0.00

4. कृषि अवसंरचना और विकास निधि

(करोड ₹ में)

वर्ष	संग्रह [कृषि और अवसंरचना शुल्क] (क)	(अंतरण/ उपयोग) (ख)	शेष (क)-(ख)
2021-22	76950.68	...	76950.68
2022-23	74142.03	...	74142.03
2023-24	80923.60	120714.39	-39790.79
2024-25 (संशोधित आकलन)	75180.00	138822.37	-63642.37
2025-26 (बजट आकलन)	80030.00	117676.85	-37646.85

** वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसरण में उपकर लगाया जा रहा है।*

5. तेल उद्योग विकास निधि

(करोड ₹ में)

वर्ष	**संग्रह* [कच्चे तेल पर उपकर#] (क)**	**(अंतरण/ उपयोग) (ख)**	**शेष (क)-(ख)**
2020-21	11474.15	...	11474.15
2021-22	19324.29	...	19324.29
2022-23	21629.22	...	21629.22
2023-24	18803.41	...	18803.41
2024-25 (संशोधित आकलन)^	17810.00	17730.00	80.00
2025-26 (बजट आकलन)^	19330.00	19376.03	-46.03

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत उपकर लगाया जा रहा है।
^ वित्तीय वर्ष 2024-25 से भारत के लोक खाते में आरक्षित निधि को लागू किया गया है तथापि यह वर्तमान में चालू है।
** वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का संग्रहण डेटा तेल उद्योग विकास बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 से लिया गया है।*

6. वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि

(करोड ₹ में)

वर्ष	**संग्रह [जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर] (क)**	**(अंतरण/ उपयोग) (ख)**	**शेष (क)-(ख)**
2020-21	85191.91	106317.00	-21125.09
2021-22	104768.66	110795.47	-6026.81
2022-23	125862.41	163506.29	-37643.88
2023-24	141436.16	143109.49	-1673.33
2024-25 (संशोधित आकलन)	153440.00	153440.00	...
2025-26 (बजट आकलन)	167110.00	167110.00	...